



Affidavit cum Declaration

12
26/2/21
Affidavit cum Declaration of Aradhya Developers through its Partner and Authorized signatory
Sh. Anu Gupta promoter of the proposed project Harsh Green
promoter of the proposed project does hereby solemnly declare, undertake and state as under:

1. That the Firm has a legal title to the land on which the development of the project is proposed through inclusion of land in firm by the owners and partners.
2. That the said land is free from all encumbrances.
3. That the Project is developed & Completed under Map No. 2018730182732430 dated 17-09-2018 with validity up to 27-01-2023.
4. That the said project is completed and the completion certificate is received from Agra Development Authority on 26-02-2021.
5. That the promoter/Developer has applied for the registration of the project with U.P. RERA under Application ID-266059
6. That till date promoter has not advertised, market, book, sell or offer for sale, or invited person to purchase in any manner any plot in real estate project Harsh Green.
7. That any marketing, Advertisement, Booking, Offer for Sale or Sale will only be done after receiving the project registration from U.P. RERA

For Aradhya Developers

Anu Gupta Deponent
Partner

Verification

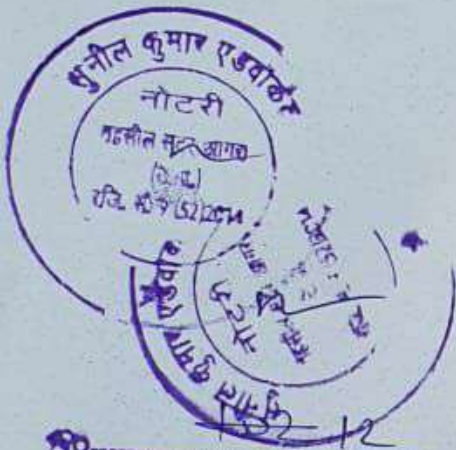
The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me there from.

Verified by me at on this 26 day of July 2021

For Aradhya Developers

Aradhya
Partner

I declare that the pan card, aadhaar number/CIN number uploaded on website is correct and both are of the promoter. I also declare that all other document submitted are correct. If any information, document including details of payment made as fee etc. are found mislead or wrong, the authority may reject the registration.



Explained to...
Read by...
Who...
Solomnly...
an oath...
at...
identified...
Who is Known to me...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AE 215637

FORM B

[See rule 3(4)]

DECLARATION, SUPPORTED BY AN AFFIDAVIT, WHICH SHALL BE SIGNED BY THE
PROMOTER OR ANY PERSON AUTHORIZED BY THE PROMOTER

Affidavit cum Declaration

Affidavit cum Declaration of Aradhya Developers through its authorized partner Sh.
ANU GUPTA, promoter of the proposed project- Harsh Green

I, promoter of the proposed project does hereby solemnly declare, undertake and state as
under:

1. That the firm has a legal title to the land on which the development of the project is
proposed

2. That the said land is free from all encumbrances.

3. That the time within which the project shall be completed by me is- **Project completed.**
Completion certificate received from Agra Development Authority

4. That seventy percent of the amounts realized by me /promoter for the real estate project
from the allottees, from time to time, shall be deposited in a separate account to be
maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and
shall be used only for that purpose. - **Project completed. Completion certificate**
received from Agra Development Authority

5. That the amounts from the separate account, to cover the cost of the project, shall be
withdrawn in proportion to the percentage of completion of the project. - **Project**
completed. Completion certificate received from Agra Development Authority

For Aradhya Developers

Anu Gupta
Partner

74
24/1/74

William [Signature]

100-1000
100-1000
100-1000

INDIA

INDIA NON-LUDIC

100-1000

100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000



100-1000
100-1000
100-1000

6. That the amounts from the separate account shall be withdrawn after it is certified by an engineer, an architect, and a chartered accountant in practice that the withdrawal is in proportion to the percentage of completion of the project- **Project completed. Completion certificate received from Agra Development Authority**

7. That I- promoter shall get the accounts audited within six months after the end of every financial year by a chartered accountant in practice and shall produce a statement of accounts duly certified and signed by such chartered accountant and it shall be verified during the audit that the amounts collected for a particular project have been utilized for the project and the withdrawal has been in compliance with the proportion to the percentage of completion of the project.- **Project completed. Completion certificate received from Agra Development Authority**

8. That I / promoter shall take all the pending approvals on time, from the competent authorities. - **Project completed. Completion certificate received from Agra Development Authority**

9. That I / promoter have furnished such other documents as have been prescribed by the rules and regulations made under the Act.

10. That I / promoter shall not discriminate against any allottee at the time of allotment of any apartment, plot, or building on any grounds.

Note- Completion certificate from Agra Development Authority is annexed with this Affidavit

For Aradhya Developers

Deponent

Amgrah
Partner

Verification

The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me there from.

Verified by me at on this 25th day of June, 2021

For Aradhya Developers

Amgrah
Deponent



I declare that the pan card, adhaar number/CIN number uploaded on website is correct and both are of the promoter. I also declare that all other document submitted are correct. If any information, document including details of payment made as fee etc. are found mislead or wrong, the authority may reject the registration.

For Aradhya Developers

Amgrah
Partner

ATTESTED

25/6/21
ASHOK KUMAR
Advocate
DIST NOTARY
AGRA



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
पत्रांक संख्या:-20180730182732430

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशासी अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

प्रपत्र-द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या-2.1.8)

आगरा विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (i) आवेदक का नाम NEELAM GUPTA & ANJALI GUPTA
(ii) वर्तमान पता GANDHI NAGAR
KH.NO. 115 (PART),
MAUJA JAGANPUR, AGRA
2. खसरा/मूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड
3. मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) 2759.54 SQM.
4. अनुमन्य भू-उपयोग RESIDENTIAL
(i) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि 17/09/18
(ii) परमिट संख्या 20180730182732430
(iii) यदि अनधिकृत विकास का शमन कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक का विवरण देते हुए शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें

5. भू-उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू-उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विघटन	
		क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	आवासीय	2233.43	81.88	2233.43	81.88		
(ii)	वाणिज्यिक	-					
(iii)	अन्य	-					
(iv)	पार्क एवं खुला स्थान	-					
(v)	सड़कें तथा गलियाँ	493.99	18.12	493.99	18.12		

14/12/2017/44405

श्रीमती श्रीमती



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
पत्रांक संख्या:-20180730182732430

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(i)	प्राइमरी स्कूल	-					
(ii)	हायर सेकेंडरी स्कूल	-					
(iii)	डिग्री कालेज	-					
(iv)	डिस्पेन्सरी	-					
(v)	अस्पताल	-					
(vi)	पोस्ट आफिस	-					
(vii)	कम्युनिटी सेंटर	-					
(viii)	पुलिस स्टेशन	-					
(ix)	फायर स्टेशन	-					
(x)	टेलीफोन एक्सचेंज	-					
(xi)	बस स्टेशन	-					
(xii)	टैक्सी स्टैंड	-					
(xiii)	जन-सुविधाएं	-					
(xiv)	अन्य-सुविधाएं	-					

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें :-

- सड़कें
- सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)
- पुलिया (कल्वर्ट)
- मार्ग प्रकाश व्यवस्था
- पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस-वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेंट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।
- ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।
- सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिप्स की स्थिति।
- सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)
- बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।
- विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफार्मर्स तथा 11 क्वी.ए. सब-स्टेशन की स्थिति एवं ट्रान्सफार्मर्स की क्षमता अंकित हो।
- सीवर का अन्तिम निस्तारण-विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण।



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:-20180730182732430

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

(xii) ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम।

8. शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :-

- (i) सड़कें
- (ii) पानी की निकासी (ड्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)
- (iii) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)
- (iv) विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए./11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)
- (v) सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन

- (i) उपविधि के अन्तर्गत है/नहीं है हाँ/नहीं
- (ii) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हाँ/नहीं

अथवा

पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। हाँ/नहीं

(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना :-

विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं हुआ है।

अथवा

विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू-उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार हैं। अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले-आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :-

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक : 04/02/2021

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

फिलान इन्टर
Anjali Singh



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:-20180730182732430

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


26/2/21
मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

भाग-ब

**पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)**

मैंने श्री/श्रीमती NEELAM GUPTA & ANJALI GUPTA (आवेदक का नाम) का, HARIPARWAT, वार्ड स्थित क्षेत्र/योजना
KH.NO. 115(PART), का निरीक्षण दिनांक, 01/02/2021, को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल
MAUJA JAGANPUR, AGRA जाँच के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जाँच आख्या निम्नवत् है :-

विकास के सभी कार्य आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मानकों एवं
विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

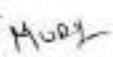
विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के
अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक-9 पर अंकित कर
दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक 

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

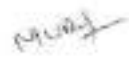
दिनांक .. 04/02/2021

भाग-स

**रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)**

विकसित योजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति 

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक .. 04/02/2021



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AE 215638

AFFIDAVIT FOR SEPARATE BANK ACCOUNT

To,
Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Naveen Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan,
Kala Kankar House, Old Hyderabad,
Lucknow - 226007

Sub: Affidavit / Declaration for Bank Account for the Project Harsh Green

Aradhya Developers through its authorized partner, Sh. ANU GUPTA, do hereby solemnly declare, undertake, and state that the following bank accounts have been opened for the project Harsh Green.

I also undertake that any secured/ Unsecured project finance availed will be deposited in the separate bank account only.

	Collection Account	Separate Account	Transaction Account
Name on Account	Aradhya Developers	N.A	N. A
Account Number	37951443925	Project completed.	Project completed.
Bank Name	State Bank of India	Completion certificate	Completion certificate
Branch Name	Kamla Nagar	obtained from Agra	obtained from Agra
Branch Address	Kamla Nagar Agra	Development	Development
IFSC	SBIN0031809	Authority	Authority

For Aradhya Developers

Anu Gupta
Partner

43

Letter

[illegible]

Note- Completion certificate from Agra Development Authority is annexed with the Affidavit

For Aradhya Developers

Amrith
Depotter
Partner

Verification

The contents of My above affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me therefrom

Verified by me at Agra on this 2nd date of
June-2024

For Aradhya Developers

Amrith
Depotter
Partner



ATTESTED
ASHOK KUMAR
ADVOCATE
DIST NOTARY
AGRA

For Aradhya Developers

Amrith
Partner